न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय म.प्र.राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल

निगरानी क्र...../14 R-999-II/14

रामनारायण आ.मूलचंद आयु वयस्क, जाति ब्राहम्ण
कृषक एवं निवासी ग्राम सेमरादांगी,
तहसील व जिला–सीहोर.....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. इमरत सिंह आ.धनराज दांगी आयु वयस्क
2. जितेन्द्र आ.धनराज दांगी आयु वयस्क
3. बनेसिंह आ.श्री किशन दांगी आयु वयस्क

सभी निवासी एवं कृषक ग्राम सेमरादांगी,
तहसील व जिला–सीहोर .....प्रति निगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0, 1959 विरूद्ध आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.एवं धारा 32 म.प्र.भू.रा.सं.1959 को अंशतःस्वीकार आदेश पत्रिका दिनांक 07/02/2014 प्रकरण क्र.1/अ–79/2013–14 रामनारायण विरूद्ध हेमसिंह आदि में पारित तहसीलदार सीहोर

श्रीमान जी,

निगरानीकर्ता अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07/02/2014 जो अंशतःस्वीकार किया गया है से असंतुष्ट एवं दुखी होकर निम्नांकित तथ्यों एवं आधारो पर यह निगरानी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करता है –

–:: तथ्य ::–

1. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय में एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.एवं धारा 32 म.प्र.भू.रा.संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया था जिसमें रेस्पॉडेंट क्र.1 व 2 से संबंधित अन्य व्यक्तियों ने शरीफ खॉ एवं अन्य के साथ मिलकर मूल खसरा नं.313 के कुल क्षेत्रफल 3.593 हेक्टेयर के एक अंश भाग के विषय में निगरानीकर्ता सहित अन्य संबंधितो के विरूद्ध व्यवहार वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु व्यवहार वाद क्र.50अ/13 शरीफ खॉ एवं अन्य विरूद्ध राजेश शर्मा एवं अन्य के विरूद्ध पेश किया है जिसमें निगरानीकर्ता अपना कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रति निगरानीकर्ता क्र. 1 व 2 तथा निगरानीकर्ता के मध्य मूल खसरा नं.313 के संबंध में व्यवहार न्यायालय के समक्ष व्यवहार वाद विचाराधीन रहने की दशा में निगरानीकर्ता अपना कब्जा करने का वाद भी काउंटर क्लेम के रूप में माननीय व्यवहार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 999–दो/2014 जिला सीहोर

रामनारायण विरूद्ध इमरतसिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–7–2016	आवेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क एवं अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ निगरानी मेमो एवं उसके संलग्न आक्षेपित आदेश दिनांक 07–2–2014 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा दिनांक 27–1–2014 को संहिता की धारा 35(3) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 10–1–13 को अदम पैरवी में खारिज प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन करते हुये आदेश 23 नियम 1 व्यवरि प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 27–12–2013 को स्वीकार कर संहिता की धारा 250 के तहत तहसील न्यायालय में प्रचलित को निरस्त करने का निवेदन किया गया। 3/ उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक के आवेदन के संबंध में यह निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक को प्रकरण वापस लेने की अधिकारिता है तथा प्रकरण को वापस लेने की अनुमति दी जाकर यह भी निर्णय दिया है कि राजस्व न्यायालय को व्यवहार न्यायालय में	

आधिपत्य प्राप्ति बाव व्यवहार वाद दायर करने की अनुमति देने की अधिकारिता नहीं है। व्यवहार न्यायालय में वाद दायर करना आवेदक के विवके पर निर्भर है। अतः तहसीलदार द्वारा आवेदक के आवेदन पर प्रकरण को वापस लेने की अनुमति देते हुये संहित की धारा 250 के तहत प्रचलित प्रकरण को समाप्त करने के आदेश देने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। उपरोक्त के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेशदिनांक 07–2–2014 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है। अभिलेख वापस भेजा जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य